#2019/00432
1149
01/06/19

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत– **अपीलीय अधि0 एवं जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

देवेन्द्र सक्सेना **बनाम** लोक सूचना अधि0 एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

किस्म मुकदमा–सूचना का अधिकार अधि.–2005 **प्रकरण संख्या 106 सन् 2019**

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/19	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमों के अवलोकन किया गया। वांछित सूचना में से बिन्दू संख्या 01 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर एवं 03 की सूचना जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर से सम्बन्धित होने कारण लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र की छाया प्रति धारा 6(3) के तहत पत्र दिनांक 25.09.2019 से उन्हें अन्तरित कर वांछित सूचना सम्बन्धित से प्राप्त करने हेतु तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना, पक्षेतर होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(d) के तहत दिया जाना आवश्यक नहीं होने का प्रत्युत्तर प्रेषित किया है। अपीलान्ट/प्रार्थी तदनुसार देय सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी ब्यावर एवं जिला परिवहन अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना/विनिश्चय से अपीलान्ट/प्रार्थी को 10 दिवस की अवधि में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। अपील इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (हस्ताक्षर) **(विश्व मोहन शर्मा)** **जिला कलक्टर, अजमेर**	

Scanned by CamScanner